

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 1983/भाद्र, 7, 1905
No. 320] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 1983/BHADRA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ हलया वी जाती हैं जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1983

सा. का. नि. 674(अ).—आगुप्त अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय की तारीख 23-6-1980 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 378(ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के उप पैरा (ख) में उल्लिखित “तीन वर्ष” के स्थान पर “चार वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 5-11012/2/83-जी.पी.ए.-5]
एच. बी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

नोट :—तारीख 23-6-1980 की मूल अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 378(ई) को बाद में तारीख 20-6-1981 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 398(ई.) द्वारा और फिर तारीख 19-6-82 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 466(ई) द्वारा संशोधित किया गया है ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 1983

G.S.R. 674(E).—In exercise of the powers conferred by section 41 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 378(E), dated the 23rd June, 1980, namely :—

In the said notification, in sub-paragraph (b) of the paragraph 2, for the words “Three years”, the words “four years” shall be substituted.

[No. V-11012/2/83-GPA.V]
H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

NOTE :

The Principal notification No. G.S.R. 378(E), dated 23rd June, 1980, has been subsequently amended by notification No. G.S.R. 398(E), dated 20-6-1981 and again by notification No. G.S.R. 466(E), dated 19-6-1982.